

विचार बिन्दु

धीरज सारे आनंदों और शक्तियों का मूल है। -फ्रेंकलिन

समान नागरिक संहिता लागू करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है

दि

नंक 03.10.2025 के अंतिथ समाप्तकीय में लेखक ने यह कहा था कि कई ऐसे विषय हैं जहाँ पर सभी राजनीतिक पार्टीयों ने जिक्र का शासन रहा है संविधान की अवाहा की है। प्रथम विषय उत्तरांग के हेतु था "सिंधु का अधिकार मनव का सर्वोच्च मूल अधिकार है" लेखक ने यह देखा था कि 6 वर्ष तक के बालकों का शिक्षा का मूल अधिकार संविधान संशोधन से छीन गया है, जबकि शिक्षा का यह अधिकार दिन 01.01.1960 तक बालक को आठवां कक्ष तक पूरा किया जाना था।

संविधान के अनुच्छेद 44 में, जो राज्य की नीति के निरेशक तत्वों का एक अनुच्छेद है, यह निर्देश है कि "राज्य भारत के संविधान की विधि से विद्यमान नागरिकों की संविधान करने का प्रयास करें।" इसके अन्तर्गत नागरिकों की अधिकारों को संविधान के विधियों को कोई संवेद संस्थय विषय में नहीं है। निरेशक तत्वों के द्वारा यह घोषणा की गई है कि राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था, जिसमें सामाजिक, अधिकार व राजनीतिक न्याय राज्यीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राप्ति करे, भरसक प्रशासन रूप से व्याप्ता और संस्करक करके लोक कल्याण की अधिवृद्धि करेगा। ये तत्व देश के शासन के मूलाधार हैं और निश्चियत में इन सिद्धान्तों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। डा. अंवेदकर के शब्दों में ये तत्व केवल पूर्वोच्च घोषणाएँ नहीं हैं अपनी अनुदेशों के दस्तावेज हैं। इस प्रकार समान संहिता के विधियों का लागू करना संवैधानिक दायित्व है।

आजादी के 78 वर्ष बाद भारत की प्राप्ति को देखते हुए, "यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य यह कहे कि नीति निरेशक सिद्धान्त प्रवर्तनशील नहीं है। संविधान के चेटर-III का V/I के प्रावधान जहाँ राजनीतिक, सामाजिक व आधिकारों को पराप्रधानत करते हैं वहाँ ये मानवीय अधिकार भी ही जब वे मानव अधिकार हैं फिर ये प्रवर्तनशील हैं। राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था के निर्णय संविधान निर्माता सभा 1950 से पूर्व ले चुके हैं और 26 जनवरी 1950 से अनुच्छेद 44 में यह व्यवस्था है। विद्या निर्माता सभा में पूर्व चर्चा के बाद इसे पारित किया था। इस प्रकार यह प्रश्न आज नहीं उठाया जा सकता कि समान नागरिक संहिता लागू हो या नहीं?

सन् 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानी व श्रीनिवास जोडेंग देश के केसेज में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया था। इसके द्वारा यह संविधान के सभी मानवीय अधिकारों को संविधान के बास में लागू किया गया था। और दिया और स्पष्ट किया गया था कि सभी मानवीय अधिकार अनुच्छेद 25 में इस विषय पर बोलते हुए अपनीतों का जोरदार खण्डकर किया था। इसके समर्थन करते हुए डा. अंवेदकर ने बताया था कि 1935 से पूर्व भारत के उत्तर पश्चिम भाग में उत्तराधिकार के मामले शोरी से तय नहीं होकर, हिन्दू संक्षेपन

देश की कुछ राज्य सरकारों ने समान नागरिक संहिता पर अपने राज्यों में कानून बनाये हैं।

उत्तराखण्ड राज्य देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता कानून लागू किया है।

गोवा में तो पहले ही से समान नागरिक संहिता लागू है। राज्य ने संविधान की अवधार बहुत कर ली किन्तु समय की पुकार है कि संपूर्ण देश पर

समान नागरिक संहिता लागू हो। हमें यह मानकर चलना होगा कि समान नागरिक संहिता लागू करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है और

इस पर गम्भीरता से अपल करना चाहिये।

में अच्छा नहीं हो सकता। अतः जो धर्म सर्वोच्च संघर्ष में गलत है वह कानून में भी गलत है। इसी वात को जिस्टिस मार्गिनेट को तोकात के क्षेत्र में निरपेक्ष किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि "जब तुम मार्गिनेट को तोकात के क्षेत्र में धर्म संघर्ष में भी उत्तराधिकार है तो उत्तराधिकार 25 में इस विषय पर बोलते हुए अपनीतों का पुनः भागीदारी के नाम से अनुच्छेद 44 के बाबत बार्ता में के। परं। मूर्खी ने इस विषय पर बोलते हुए अपनीतों का जोरदार खण्डकर किया था। इसके समर्थन करते हुए डा. अंवेदकर ने बताया था कि 1935 से

हुये ऐसे स्पष्ट किया कि देश एक है और सभी के हेतु समान नागरिक संहिता लागू होने की विधि बनाये थीं। न्यायालय ने दो राष्ट्रों के सिद्धान्तों को नकारते हुये ऐसे स्पष्ट किया है कि देश एक है और सभी के हेतु समान नागरिक संहिता लागू होने की विधि बनाये थीं। इसके बाद 2003 में पुनः मानवीय सर्वोच्च न्यायालय ने जॉन बेल्पटन के क्षेत्र में उपरोक्त सिद्धान्तों को पुनः दोहराया। स्पष्ट अधिकार है कि राज्य ऐसे सामाजिक व्यवस्था के नाम से समान धर्म से उन मूल अधिकारों से नहीं है विकास उत्तराधिकार 25 में इन विषय पर बोलते हुए अपनीतों का जोरदार खण्डकर किया था। इसके समर्थन करते हुए डा. अंवेदकर ने बताया था कि 1935 से

हुये अपने राज्यों के नाम से अनुच्छेद 44 के बाबत बार्ता के क्षेत्र में लागू होने की विधि बनाये थीं। इसके समर्थन करते हुए डा. अंवेदकर ने बताया था कि 1935 से

हुये अपने राज्यों के नाम से अनुच्छेद 44 के बाबत बार्ता के क्षेत्र में लागू होने की विधि बनाये थीं। इसके समर्थन करते हुए डा. अंवेदकर ने बताया था कि 1935 से

हुये अपने राज्यों के नाम से अनुच्छेद 44 के बाबत बार्ता के क्षेत्र में लागू होने की विधि बनाये थीं। इसके समर्थन करते हुए डा. अंवेदकर ने बताया था कि 1935 से

हुये अपने राज्यों के नाम से अनुच्छेद 44 के बाबत बार्ता के क्षेत्र में लागू होने की विधि बनाये थीं। इसके समर्थन करते हुए डा. अंवेदकर ने बताया था कि 1935 से

हुये अपने राज्यों के नाम से अनुच्छेद 44 के बाबत बार्ता के क्षेत्र में लागू होने की विधि बनाये थीं। इसके समर्थन करते हुए डा. अंवेदकर ने बताया था कि 1935 से

हुये अपने राज्यों के नाम से अनुच्छेद 44 के बाबत बार्ता के क्षेत्र में लागू होने की विधि बनाये थीं। इसके समर्थन करते हुए डा. अंवेदकर ने बताया था कि 1935 से

हुये अपने राज्यों के नाम से अनुच्छेद 44 के बाबत बार्ता के क्षेत्र में लागू होने की विधि बनाये थीं। इसके समर्थन करते हुए डा. अंवेदकर ने बताया था कि 1935 से

हुये अपने राज्यों के नाम से अनुच्छेद 44 के बाबत बार्ता के क्षेत्र में लागू होने की विधि बनाये थीं। इसके समर्थन करते हुए डा. अंवेदकर ने बताया था कि 1935 से

हुये अपने राज्यों के नाम से अनुच्छेद 44 के बाबत बार्ता के क्षेत्र में लागू होने की विधि बनाये थीं। इसके समर्थन करते हुए डा. अंवेदकर ने बताया था कि 1935 से

हुये अपने राज्यों के नाम से अनुच्छेद 44 के बाबत बार्ता के क्षेत्र में लागू होने की विधि बनाये थीं। इसके समर्थन करते हुए डा. अंवेदकर ने बताया था कि 1935 से

हुये अपने राज्यों के नाम से अनुच्छेद 44 के बाबत बार्ता के क्षेत्र में लागू होने की विधि बनाये थीं। इसके समर्थन करते हुए डा. अंवेदकर ने बताया था कि 1935 से

हुये अपने राज्यों के नाम से अनुच्छेद 44 के बाबत बार्ता के क्षेत्र में लागू होने की विधि बनाये थीं। इसके समर्थन करते हुए डा. अंवेदकर ने बताया था कि 1935 से

हुये अपने राज्यों के नाम से अनुच्छेद 44 के बाबत बार्ता के क्षेत्र में लागू होने की विधि बनाये थीं। इसके समर्थन करते हुए डा. अंवेदकर ने बताया था कि 1935 से

हुये अपने राज्यों के नाम से अनुच्छेद 44 के बाबत बार्ता के क्षेत्र में लागू होने की विधि बनाये थीं। इसके समर्थन करते हुए डा. अंवेदकर ने बताया था कि 1935 से

हुये अपने राज्यों के नाम से अनुच्छेद 44 के बाबत बार्ता के क्षेत्र में लागू होने की विधि बनाये थीं। इसके समर्थन करते हुए डा. अंवेदकर ने बताया था कि 1935 से

हुये अपने राज्यों के नाम से अनुच्छेद 44 के बाबत बार्ता के क्षेत्र में लागू होने की विधि बनाये थीं। इसके समर्थन करते हुए डा. अंवेदकर ने बताया था कि 1935 से

हुये अपने राज्यों के नाम से अनुच्छेद 44 के बाबत बार्ता के क्षेत्र में लागू होने की विधि बनाये थीं। इसके समर्थन करते हुए डा. अंवेदकर ने बताया था कि 1935 से

हुये अपने राज्यों के नाम से अनुच्छेद 44 के बाबत बार्ता के क्षेत्र में लागू होने की विधि बनाये थीं। इसके समर्थन करते हुए डा. अंवेदकर ने बताया था कि 1935 से

हुये अपने राज्यों के नाम से अनुच्छेद 44 के बाबत बार्ता के क्षेत्र में लागू होने की विधि बनाये थीं। इसके समर्थन करते हुए डा. अंवेदकर ने बताया था कि 1935 से

हुये अपने राज्यों के नाम से अनुच्छेद 44 के बाबत बार्ता के क्षेत्र में लागू होने की विधि बनाये थीं। इसके समर्थन करते हुए डा. अंवेदकर ने बताया था कि 1935 से

हुये अपने राज्यों के नाम से अनुच्छ

सचिन पायलट ने विधायक मोतीराम कोली को दिलासा दी

रेवदर, (नि.सं.) अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट गुरुवार को रेवदर दौरे पर रहे। पायलट ने विधायक मोतीराम कोली के निधन पर पहुंचकर उनकी माताजी मालू देवी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

पायलट ने विधायक कोली के उनके परिवार के प्रति संवेदन व्यक्त करते हुए कहा कि वह परिवर्क किए अपूरणीय है और इस कठिन समय में पूरा कांग्रेस परिवार उनके साथ है। द्रष्टव्यजलि के बाद पायलट ने विधायक कोली की अस्वस्थ चल रही पत्नी के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली और उनके शीर्षक स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

इस दौरान रानीवाड विधायक रतन देवी, पूर्व विधायक संयम लोडा, कांग्रेस जिलाल्यका अनंद जोशी, ब्लॉक अध्यक्ष कृष्णवीर सिंह रोहता, जिला अल्यका देवीता हर्षल अठावान, मंडल



पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने विधायक मोतीराम कोली की माताजी मालू देवी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

चर्चा की।

रेवदर में एनएसयूआई रेवदर कोली की जानेदारी स्थित एक निजी होटर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गमजोतीयों से स्वागत किया। इस दौरान पायलट ने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत बनाने और जनता के मुद्दों पर सक्रिय रहने का आहवान किया। पायलट ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की निष्ठा और मेहनत ही पार्टी की असली ताकत है।

उन्होंने क्षेत्र की जनसमस्याओं पर भी आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों पर भी

रवाना हुए। कार्यक्रम रखा। पायलट का जगह जग्मा वर्षीय उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के आवृद्धों जाने के दौरान और कार्यकर्ताओं को जेब करने की उड़वारिया टोल प्लाजा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्वागत किया।

वर्षीय जेबकरों ने चार व्यक्तियों की जेब से 4,800 रुपये, सिंकंदर खान के 4,500 रुपये व भेराराम के 3,350 रुपये जेब काटकर 36 हजार रुपये चुका दिया। वर्षीय चारों व्यक्तियों ने संयुक्त घटनाकारी के जानकारी के अनुसार मारंट आबू ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से उत्साह पहनाकर सुधा माता की प्रतिमा भेंट की अपनी जेब से 25 हजार, कमलेश कुमार नाल वारानी के जानकारी के अनुसार मारंट आबू ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से उत्साह देखा गया।

उनके आगमन से स्थानीय राजनीति में नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनका उत्साह एवं मेहनत ही पार्टी की असली ताकत है।

उन्होंने

लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों ने मन मोहा

टीबी रोगियों को पोषण

किट वितरण किया

प्रस्तुतियों ने मन मोहा

कार्यक्रम आयोजित

कार्यक्रम अनुभवी

एवं सामाजिक संस्थाओं, दानदाताओं,

भामाशाहीं और आजमन की नियमित

बनकर उपचारार्थी टीबी रोगियों को

पोषण एवं अन्य सहायता प्रदान करते हुए रोगी

प्रतिरोधक भक्षण को सुखद करने के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

इस अधियान का उत्तरांश टीबी रोगियों

को अवधिकारी संस्थाओं, दानदाताओं,

भामाशाहीं और आजमन की नियमित

बनकर उपचारार्थी टीबी रोगियों को

पोषण की नियमित

उपचारार्थी टीबी रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हुए रोगियों को सामाजिक

अधिकारी एवं रोगाना के

प्रयत्न करते हु

